भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 336

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : ऋणों के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या

336. श्री डी॰ रविकुमार :

श्री टी॰ एन॰ प्रथापन :

प्रो॰ सौगत राय :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में आत्महत्या करने वाले किसानों के आंकड़े हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी गत चार वर्षों के दौरान राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को आत्महत्या करने वाले किसानों के ऋण के बारे में जानकारी है तथा यदि हां, तो जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनकी औसत देयता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का जिन किसानों के आत्महत्या की है उनके और छोटे और मध्यम किसानों के विद्यमान ऋण को माफ करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास गत चार वित्तीय वर्षों में किसानों के माफ किए गए ऋणों के आंकड़े हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए क्या पहलें की गई हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का ऋणग्रस्त किसानों के बीच आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) : गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ''भारत में दुर्घटनावश मृत्यु एवं आत्महत्याएं'' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं के संबंध में सूचना का संकलन एवं प्रसार करता है। आत्महत्याओं के संबंध में वर्ष 2016 तक की ये रिपोर्टें इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग) एवं (घ) : फसल ऋणों की छूट के संबंध में भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड.) : कृषि, राज्य का विषय है इस नाते राज्य सरकारें इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करती हैं। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन को बढ़ाकर और किसानों को लाभकारी आय दिलाकर किसानों के कल्याण के लिए बनी हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सूची **अनुबंध- I** पर दी गई है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए ये सभी कदम देश के किसानों के कल्याण के लिए हैं।

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने (डीएफआई) के लिए रणनीति की सिफारिश करने के लिए वर्ष 2016 में एक अंतर-मंत्रालीय समिति का गठन किया था। डीएफआई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और उसके बाद सरकार ने दिनांक 23.01.2019 को डीएफआई की सिफारिश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया।

(च) : सरकार मानसिक विकारों/बीमारी का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार के लिए देश के 655 जिलों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन में सहायता कर रही है। डीएमएचपी को आत्महत्या की रोकथाम सेवाओं, कार्य स्थल पर तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और स्कूल और कॉलेजों में परामर्श (काउंसलिंग) जैसे अतिरिक्त घटकों को शामिल करने के लिए पुनर्गठित किया गया है। केंद्रीय/राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए भी सहायता दी जाती है।

अनुबंध - ।

सरकार की कार्यनीति कृषि को व्यवहार्य बनाकर किसानों का कल्याण करने पर केंद्रित है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने पर केंद्रित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की अग्रणी योजना का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. 'प्रति बूंद अधिक फसल पहल" जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम शमन के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई। यह योजना विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के साथ ही बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। वर्ष 2018 में पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xi. सरकार ने कृषि क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंकों की उपलब्धि लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही है। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xiii. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xiv. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को चार माह के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है। इस योजना के तहत लगभग 14.5 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है।

xv. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3 हजार रूपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च, 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

****